"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2007—चैत्र 30, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कृष्णा आत्मज स्व. पी. जगन्नाथ राव, आयु 36 वर्ष, निवासी गुढ़ियारी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल नवापारा राजिम, जिला रायपुर में कार्य. परि. वर्ग-3 (ल) के पद पर पदस्थ हूं. मैं अपने उक्त नाम को परिवर्तित कर पी. कृष्णा राव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पी. कृष्णा राव आत्मज स्व. पी. जगन्नाथ राव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कृष्णा आत्मज-स्व. पी. जगन्नाथ राव निवासी-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल नवापारा-राजिम जिला रायपुर (छ. ग.)	पी. कृष्णा राव आत्मज-स्व. पी. जगन्नाथ राव निवासी-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल नवापारा-राजिम जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती गीता तिवारी पति श्री प्रदीप कुमार तिवारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी-सी-134, सूर्य विहार कालोनी जुनवानी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने उक्त नाम को परिवर्तित कर श्रीमती संगीता तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती संगीता तिवारी पति श्री प्रदीप कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती गीता तिवारी पति- श्री प्रदीप कुमार तिवारी निवासी-सी-134, सूर्य विहार कालोनी जुनवानी, भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती संगीता तिवारी पति- श्री प्रदीप कुमार तिवारी निवासी-सी-134, सूर्य विहार कालोनी जुनवानी, भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास भाटापारा, जिला-रायपुर

प्ररूप क्रमांक 4
[देखें नियम 5 (1)]

भाटापारा, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक/वाचक-1/अ.वि.अ./2007.—यत: कि प्रकाशचंद मोदी पिता श्री उत्तम चंद मोदी, निवासी गांधी मंदिर वार्ड, भाटापारा तहसील भाटापारा ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 20-4-2007 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री चिन्मय सागर चेरीटेबल ट्रस्ट, भाटापारा, जिला रायपुर
(2)	संपत्ति का विवरण	:	51000.00 रुपये नगद मात्र.

पी. एस. नेताम,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.